

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग।

आम सूचना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा आयोजित वार्षिक मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा 2025, में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं द्वारा मेधासॉफ्ट पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किये जाने के संबंध में।

**आवेदन करने की अंतिम तिथि : 10 मार्च 2026**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत निम्न योजनाओं हेतु लाभान्वित किया जाना है :-

| क्र सं० | योजना का नाम                                                                  | पात्रता                                                      | कोटि                                                          | प्रोत्साहन राशि                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना                             | इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण                             | सभी कोटि के अविवाहित छात्राएँ                                 | रु 25,000 / -                                                |
| 2       | मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) | इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण | अनु० जाति एवं अनु० जनजाति की छात्राएँ                         | प्रथम श्रेणी- रु 15,000 / -<br>द्वितीय श्रेणी- रु 10,000 / - |
| 3       | मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना                                           | मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण                 | सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राएँ                      | प्रथम श्रेणी- रु 10,000 / -                                  |
| 4       | मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना                                       | मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण                 | सामान्य वर्ग के छात्र                                         | प्रथम श्रेणी- रु 10,000 / -                                  |
| 5       | मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना                        | मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण     | अनु० जाति एवं अनु० जनजाति की छात्र/छात्राएँ                   | प्रथम श्रेणी- रु 10,000 / -<br>द्वितीय श्रेणी- रु 8,000 / -  |
| 6       | मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना                   | मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण                 | पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएँ | प्रथम श्रेणी- रु 10,000 / -                                  |

|   |                                                      |                                              |                                   |                            |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 7 | मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (अल्पसंख्यक) | मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण | अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राएँ | प्रथम श्रेणी— रु 10,000 /— |
|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में DBT के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

- पात्र लाभुकों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अन्तरित करने हेतु NIC द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण सभी योग्य छात्र/छात्राओं की जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अपलोड कर दिया गया है।
- समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बहुत सारे पात्र लाभुकों द्वारा MedhaSoft पोर्टल पर Login कर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है।
- वैसे पात्र लाभुक जिन्होंने MedhaSoft पोर्टल पर Login कर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराये है उन्हें दिनांक— **10.03.2026** तक रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है।
- तदालोक में सभी पात्र छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे NIC के द्वारा विकसित मेधासॉफ्ट पोर्टल पर [www.medhasoft.bihar.gov.in](http://www.medhasoft.bihar.gov.in) के माध्यम से Login कर स्वयं से संबंधित सभी सूचनाओं की सत्यता की जाँच कर लें। ज्ञातव्य हो कि संबंधित पोर्टल दिनांक—**15.08.2025** से खुला हुआ है। इसके अलावा उक्त पोर्टल में Login करने के पश्चात रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा अपना बैंक खाता नं०, बैंक शाखा का नाम, आई०एफ०एस०सी० कोड एवं आधार संख्या से संबंधित सूचना आदि को अंकित किया जाना है।
- NIC के द्वारा विकसित मेधासॉफ्ट पोर्टल पर Login करने के लिए छात्र/छात्राओं को संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या के साथ जन्मतिथि अथवा मैट्रिक/इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2025 में हासिल किये गये कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी।
- ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से Seeded हो तथा पात्र छात्र/छात्राओं के अपने नाम से बैंक खाता खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए।
- इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित किये जाने क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने पर विशेष ध्यान रखा जाये। प्रयास किया जाए की सूचनाओं को अंकित किये जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर आदि के माध्यम से किया जाय।
- यदि पात्र लाभुक दिनांक— 10.03.2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते है तो यह समझा जायेगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक— **10.03.2026** के पश्चात् उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जायेगा।
- किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं०—8986294256, 9534547098, एवं ईमेल—[mkuyinter2022@gmail.com](mailto:mkuyinter2022@gmail.com) पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- उक्त योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन मेधासॉफ्ट पोर्टल ([www.medhasoft.bihar.gov.in](http://www.medhasoft.bihar.gov.in)) के माध्यम से ही किया जायेगा। अन्य किसी पोर्टल/माध्यम से किये गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

निदेशक प्राथमिक शिक्षा—सह—नोडल पदाधिकारी,  
DBT, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।